

प्रेषक

महानिदेशक,
स्कूल शिक्षा,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश

पत्रांक स0शि0अ0-नि0का0/ 8224 /2019-20 लखनऊ दिनांक: 05 मई, 2020

विषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) (ग) के अंतर्गत गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में बच्चों को कक्षा -1 एवं पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में ऑनलाइन /ऑफलाइन प्रवेश तथा लाटरी के सम्बन्ध में:

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है की कोविड-19 के देशव्यापी महामारी के आलोक में प्रदेश में सम्पूर्ण लॉकडाउन के दृष्टिगत निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) (ग) के अंतर्गत गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिये बच्चों को कक्षा -1 एवं पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रवेश हेतु आवेदन, आवेदनों के सत्यापन तथा लाटरी हेतु प्रक्रिया एवं समय-सारिणी संशोधन कर निर्धारित किया जा रहा है, जो कि निम्नवत् है :

चरण	आवेदन करने की तिथियां	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र का सत्यापन कर उन्हें लॉक करने की अंतिम तिथि	लाटरी निकालने की तिथि	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा बच्चों का गैर सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में प्रवेशित कराये जाने का दिनांक
प्रथम	02 मार्च 2020 - 24 मई 2020	25 मई 2020 - 27 मई 2020	28 मई 2020	10 जुलाई 2020
द्वितीय	30 मई 2020 - 25 जून 2020	26 जून 2020 - 28 जून 2020	29 जून 2020	20 जुलाई 2020

अतः आपको निर्देशित किया जाता है की उपरोक्तानुसार निर्धारित समय-सारिणी का संज्ञान रखते हुए आवश्यक कार्यवाही अपने - अपने जनपदों में समयबद्ध रूप से पूर्ण करना सुनिश्चित करें,

भवदीय,

O/c (विजय किरन आनन्द)
महानिदेशक, स्कूल शिक्षा,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ0सं0/आर0टी0ई0/नि0का0/ 0224 /2019-20

दिनांक:

प्रतिलिपि-

- 1- अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
- 2- सचिव बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
- 3- विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
- 4- निदेशक, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
- 5- जिलाधिकारी समस्त जनपद उ0प्र0।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, समस्त जनपद उ0प्र0।
- 7- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल उ0प्र0।



(विजय किरन आनन्द)
महानिदेशक, स्कूल शिक्षा,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

OLC

ji.